न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 38 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।	**बनाम**	1.श्रीमती इन्द्रकंवर पत्नी मालसिंह 2.चतरसिंह पुत्र मालसिंह 3.दीपसिंह पुत्र मालसिंह 4.शेरसिंह पुत्र मालसिंह 5.मुलतानसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगीदास का गांव तह0 फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 37 / 2014 बनवान मालसिंह कायम मुकाम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— **16.05.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम जोगीदास का गांव के खसरा संख्या 324 रकबा 55.16 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट / वादीगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त नहीं होने के कारण ग्राम जोगीदास का गांव के खसरा संख्या 324 रकबा 55. 16 बीघा भूमि राजकीय दर्ज की गई एवं इनके नाम दर्ज नहीं हुई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई जो समरी की भूमि से अधिक है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वक्त फाइनल सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकार्ड में वादीगण/रेस्पोडेंट के पिता के नाम से चली आ रही भूमि समरी खाता संख्या 57 समरी खसरा सख्या 70 खेत का नाम भुरजियेवाला रकबा 34.10 बीघा किस्म बजरिया से बने वर्तमान खसरा संख्या 324 रकबा 85.07 बीघा भूमि खातेदारी में सम्वत 2021 में खसरा बन्दोबस्त में दर्ज कर दी परनतु बिना किसी ठोस आधार के वादीगण/रेस्पोडेंट के पिता की समरी के मालिकाना हक की भूमि को बिना कोई जांच किय हाल खसरा संख्या 324 के शेष रकबा 55.16 बीघा भूमि को खातेदारी को काटकर पडत सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि गलत था। रेस्पोडेंट/वादी समरी सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज है इसलिये खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। रेस्पोडेंट/वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्राम जोगीदास का गांव के समरी खसरा संख्या 70 से वर्तमान बंदोबस्त में दो खसरा संख्या 323 व 324 (भुरजिये वाला खेत) कायम हुए हैं। यह खसरा संख्या 70 मालसिंह पुत्र गोकलसिंह के नाम खातेदारी में था इसलिए 323 के संपूर्ण रकबे की खातेदारी उनको दे दी लेकिन खसरा संख्या 324 रकबा 85.07 बीघा उनकी खातेदारी में पहले तो दर्ज कर लिया परन्तु बाद में उसमें **कांट–छांट कर अलावा जोत काबिल काश्त सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज** कर ली जिस पर मालसिंह के वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा लाया गया। वादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि इस वादग्रस्त खसरे में पूर्व में रकबा 29.11 बीघा किसी अन्य खातेदार के नाम दर्ज हुआ जो जमाबंदी वर्ष 2068–71 के मुताबिक खसरा संख्या **324/812** सूरजकंवर पत्नी कानसिंह 1/2, ढेलकंवर पत्नी सायबसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार इस खसरे में पूर्व में भी खातेदारी हासिल की जा चुकी है जबकि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा मूल खसरा संख्या 324 रकबा 85.07 बीघा पर दावा नहीं करके उपरोक्त खातेदारी पश्चात शेष रहे रकबे 55.16 बीघा पर किया गया है। **पूर्व में दी गई खातेदारी इत्यादि के संबंध में गहन जांच/परीक्षण आवश्यक है साथ ही वादग्रस्त खसरा संख्या 324 पर वादीगण/रेस्पोडेंट का अनवरत कब्जा–काश्त कितने रकबे पर रहा है?** इसकी भी साक्ष्य ली जानी उचित है इसलिए उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में मामला रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2014 बनवान मालसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कायम मुकाम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2014 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त ऑब्जरवेशन के आधार पर **उभयपक्ष** एवं पूर्व में वादग्रस्त खसरे व **प्रदत खातेदारी इत्यादि के सभी प्रभावित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर** प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे।

16/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner